

शैक्षणिक सत्र 2023–24

मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना : अंतिम दिनांक 31.12.2023

शैक्षणिक सत्र 2023–24 में **B.TECH./BA/BSC/BCOM/BCA** पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाले सभी वर्गों के विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि उच्च शिक्षा विभा, राजस्थान सरकार द्वारा सभी वर्गों SC/ST/OBC/SBC/GEN/MINORITY के विद्यार्थियों हेतु मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना का संचालन किया जा रहा है, निम्न निर्धारित योग्यता रखने वाले विद्यार्थी उक्त योजना अंतिम दिनांक 30.12.2023 से पूर्व आवेदन कर सकते हैं :—

1. उक्त योजना में किसी भी वर्ग SC/ST/OBC/SBC/GEN/MINORITY के विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं।
2. शैक्षणिक सत्र 2022–23 में राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड—अजमेर से किसी भी सकांय में उच्च माध्यमिक परीक्षा (12th Science/Arts/Commerce) की वरीयता सूची में प्रथम एक लाख ऐसे सभी विद्यार्थी जो 60 प्रतिशत के साथ उत्तीर्ण हो एवं विद्यार्थी राजस्थान का मूल निवासी निवासी होना चाहिए। केवल उक्त शैक्षणिक सत्र 2022–23 में 12th उत्तीर्ण ही नवीन आवेदन करें।
3. विद्यार्थी/अभिभावक की वार्षिक आय 2,50,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
4. वर्तमान में राजस्थान राज्य के राजकीय/गैर राजकीय मान्यता प्राप्त उच्च/तकनीकी शिक्षा संस्थान में नियमित विद्यार्थी के रूप में अध्यननरत होना चाहिए।
5. वर्तमान में विद्यार्थी राज्य/भारत सरकार की किसी अन्य छात्रवृत्ति योजना का लाभ नहीं ले रहा हों।
6. विद्यार्थी को राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता/आधार कार्ड/भामाशाह कार्ड/जनाधार कार्ड होना चाहिए।
7. विभाग द्वारा छात्रवृत्ति एक शैक्षणिक वर्ष में एक बार नियमानुसार स्वीकृत की जाती है। जिसे अन्तर्गत छात्र/छात्राओं को 500 प्रतिमाह एक वर्ष में अधिकतम 10 माह के वार्षिक 5,000 रु. का भुगतान किया जाएगा, साथ ही अल्पसंख्यक वर्ग की ऐसी छात्राएं जिनके 12th में 75 प्रतिशत से अधिक प्राप्तांक है ऐसी छात्राओं को राशि 5,000 की अतिरिक्त सहायता प्रदान की जाएगी। दिव्यांग विद्यार्थी को 1000 प्रतिमाह एक वर्ष में अधिकतम 10 माह के वार्षिक 10,000 रु. का भुगतान किया जाएगा। अध्यननरत नियमित विद्यार्थियों को अधिकतम 5 वर्ष तक योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा।

आवेदन की विस्तृत जानकारी हेतु उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार के दिशा-निर्देश क्रमांक 955 दिनांक 30.12.2021 संलग्न है। इच्छुक विद्यार्थी अंतिम दिनांक 30.12.2023 से पूर्व ऑन लाईन आवेदन करें एवं ऑन लाईन आवेदन करने से पूर्व आवेदन से संबंधित विस्तृत जानकारी के लिए छात्रवृत्ति प्रभारी श्री विक्रम राठौड़ (मोबाइल नम्बर : 9667929676) से सम्पर्क करें।

संलग्न : उच्च शिक्षा विभाग के दिशा-निर्देश

नोट :— उपरोक्त सूचना के संदर्भ में किसी भी विसंगति की परिस्थिति में उच्च शिक्षा विभाग एवं अनुयक्तालय कॉलेज शिक्षा विभाग, जयपुर द्वारा जारी दिशा-निर्देश ही मान्य होंगे।

(प्राचार्य)

(नोडल अधिकारी)

शपथ—पत्र

मैं पुत्र/पुत्री श्री जाति
निवासी तहसील व जिला (राज0) मूल
की निवासी हूँ जो कि निम्न कथन बयान करता/करती हूँ कि :

1. यह कि श्री/श्रीमती/कुमारी
महाविद्यालय (राज0) मे कक्षा
में नियमित छात्र/छात्रा के रूप में अध्ययनरत हूँ।
2. यह कि मैंने योजना वर्ष हेतु आवेदन किया है।
3. यह कि मुझे राज्य सरकार/भारत सरकार से अन्य कोई छात्रवृत्ति/प्रोत्साहन राशि नहीं मिल
रही है।
4. यह कि मुझे अन्य कोई छात्रवृत्ति/प्रोत्साहन राशि नहीं मिलने के बाबत यह शपथ पत्र प्रस्तुत
किया जा रहा है।

शपथ गृहिता/गृहिती

प्रमाणीकरण

मैं उक्त शपथ गृहिता/गृहिती सशपथ सत्यापित करती हूँ कि उक्त शपथ पत्र की मद
संख्या 1 से 4 मेरी निजी जानकारी के अनुसार सही व सत्य है।

ह0 शपथ गृहिता/गृहिती

— अध्ययन अन्तराल प्रमाण पत्र (Gape Certificate) —

छात्रवृति प्रक्रिया सत्र 2023–24 हेतु स्वघोषणा

मैं पुत्र/पुत्री श्री जाति

उप्र निवासी

.....आज बमुकाम बयान करता हुं/करती हुं कि :-

1. यह कि मैंने वर्ष में की परीक्षा दी थी जिसमें मैं उत्तीर्ण रहा था/रही थी।
2. यह कि शैक्षणिक सत्र में मेरे नियमित अध्ययन में अन्तराल रहा है।
3. यह कि मैंरे उपरोक्त अध्ययन के अन्तराल शैक्षणिक सत्र में मैंने कही भी अन्यत्र प्रवेश नहीं लिया था और ना ही कही अन्य अध्ययनन किया।
4. यह कि शैक्षणिक सत्र के दौरान मुझ से संबंधित किसी प्रकार का कार्ड वाद—विवाद पुलिस थाना/न्यायालय व अन्य विभाग में विचाराधिन नहीं है।
5. यह कि वर्तमान में, मैंने शैक्षणिक सत्र 2023–24 में कॉलेज—जाडन (पाली) में BTEH/BA/BSC/BCOM/BCA पाठ्यक्रम में नियमित विद्यार्थी के रूप में प्रवेश लिया है एवं अध्यनरत हुं।

दिनांक

(हस्ताक्षर विद्यार्थी)

नाम

स्थान

दिनांक

— तस्वीक —

मैं उपरोक्त शपथकर्ता शपथपूर्वक बयान करता हुं/करती हुं कि उपरोक्त घोषण एवं मुझ द्वारा वर्णित तमाम तथ्य मेरी निजी ज्ञान व जानकारी में सही एवं सत्य है।

(हस्ताक्षर विद्यार्थी)

नाम

स्थान

दिनांक

आय का घोषणा पत्र

(पिता/माता/पति/पत्नी/संरक्षक द्वारा भरा जायेगा)
उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजनाओं में वर्ष 2023–24 के लिए

प्रारूप भाग—I

1. प्रार्थी (विद्यार्थी के पिता/माता/पति/पत्नी/संरक्षक) का नाम.....
2. पिता/पति का नाम श्री.....आयु.....वर्ष.....माह
3. निवास स्थान का पूर्ण पता
तहसीलजिलापिनकोड
4. आय का घोषणा पत्र देने वाले का पैन नम्बर (बीपीएल को छोड़कर).....(जो स्पष्ट अंकित हो)
5. आय का घोषणा पत्र देने वाले का आधार नम्बर.....(जो स्पष्ट अंकित हो)
6. आय का घोषणा पत्र देने वाले का भासाशाह नम्बर.....(जो स्पष्ट अंकित हो)
7. आय का घोषणा पत्र देने वाले की समस्त स्त्रोतों से सम्मिलित वार्षिक आय का विवरण :—(सम्बन्धित पर चिन्हित करें, राजकीय सेवा में होने पर नियोक्ता द्वारा जारी किया गया फार्म नम्बर 16 भी संलग्न करें)

(1) कृषि भूमि (.....) आदि से आय रु.....	(2) वृत्ति, सेवा लाभ, अनुदान, निकाय आदि से आय रु.....
(3) वेतन, पेंशन, भत्ते, मानदेय, नियोजन, मजदूरी आदि से आय रु.....	(4) मशीनरी, किराये, दुकानदार, कारोबार, व्यवसाय या व्याज लाभांश से आय रु.....
(5) अन्य स्त्रोतों से आय रु.....	कुल वार्षिक आय रु.....

मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि उपरोक्त विवरण मेरी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सही है।

दिनांक.....

हस्ताक्षर.....

आय की घोषणा करने वाले का नाम.....

मय विद्यार्थी से सम्बन्ध.....

प्रारूपभाग-II (दो उत्तरदायी व्यक्तियों के साक्ष्य प्रमाण—पत्र)

हम शपथ पूर्वक बयान करते हैं कि प्रार्थी/प्रार्थियाँपुत्र/पुत्री/पत्नी श्री.....
निवासीको भली प्रकार से जानते हैं। इनके द्वारा उपरोक्तानुसार की गई घोषणा के हम साक्षी हैं। हमारी जानकारी में उक्त वर्णित आय के अलावा प्रार्थी/प्रार्थियों के पास आय का कोई अन्य स्त्रोत नहीं है।

(1) हस्ताक्षर/उत्तरदायी व्यक्ति का नाम
(पद नाम/दिनांक/आधार नम्बर/मोबाइल न.)

(2) हस्ताक्षर/उत्तरदायी व्यक्ति का नाम
(पद नाम/दिनांक/आधार नम्बर/मोबाइल न.)

*नोट:—(उत्तरदायी व्यक्ति यथा—संसद सदस्य/विधानसभा सदस्य/जिला प्रमुख/प्रधान जिला परिषद सदस्य/सरपंच/वार्डपंच/महापौर/उपमहापौर/नगर निगम/नगर पालिका अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/वार्ड पार्शद/वार्ड मेम्बर/राजकीय अधिकारी/कर्मचारी से अभिशंसा करवाए।)

प्रारूपभाग-III (शपथ—पत्र)

मैंपुत्र/पुत्री/पत्नी श्री.....शपथपूर्वक उद्घोषणा करता/करती हूँ कि मेरा/मेरी एवं मेरे पति/पत्नी की (जो भी लागू हो) समस्त स्त्रोतों से कुल वार्षिक आय रु.....अक्षरे रु.....हैं। उक्त शपथ—पत्र मेरी निजी जानकारी से लिखा गया है, जो सही है। इसमें कोई तथ्य नहीं छुपाया गया है और न ही असत्य लिखा है। ईश्वर साक्षी है। इस शपथ पत्र में अंकित तथ्य एवं शपथपूर्वक उद्घोषित वार्षिक आय का गलत अथवा मिथ्या होना अथवा किसी तथ्यों में फेरबदल करना, किसी तथ्य को छुपाना, तथ्यों को तोड़ भरोड़कर पेश करना, सरकार को गुमराह करने का प्रयास करना इत्यादि भारतीय दण्ड संहिता धारा 177, 197, 198, 199, 200 एवं 420 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आते हैं। मैं यह अच्छी तरह समझता हूँ कि मेरे द्वारा उपरोक्त कृत्य करने पर मेरे विरुद्ध उपरोक्त धाराओं में फौजदारी मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही की जा सकती है तथा दोषी पाये जाने पर मुझे 3 से 7 वर्ष तक के कारावास की सजा हो सकती है।

(हस्ताक्षर एवं नाम शपथग्रहिता)

प्रारूपभाग-IV (प्रमाणीकरण)

उपरोक्त (शपथकर्ता का नाम).....पिता/पति का नामआयु.....
निवासी.....

ने मेरे समक्ष उपस्थित होकर शपथपूर्वक उक्तानुसार अभिकथन किया है, जिसे प्रमाणीकृत की पहचान मेरे के द्वारा की गई है।

(हस्ताक्षर प्रमाणीकरण अधिकारी का नाम, रजिस्ट्रेशन कमांक मय पद एवं सील)

कार्यपालक मजिस्ट्रेट/तहसीलदार/नायबतहसीलदार/नगर निकायों के अधिकारी/राजपत्रित अधिकारी/अन्य प्राधिकृत अधिकारी नोटरी पब्लिक/ऑफिशियल रजिस्ट्रेशन कमांक) का नाम व पद मय मुहर)

आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर

क्रमांक—एफ 23(80) / लेखा / आकाशि / छास्कूअॅनलाईन / 2023-24 / ७४५।

दिनांक— ०३.१०.२०२३

स्कूटी/छात्रवृत्ति हेतु ऑनलाइन आवेदन हेतु पोर्टल पुनः खोलने बाबत

वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना तथा देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण एवं प्रोत्साहन राशि योजनान्तर्गत द्वितीय राउंड हेतु तथा मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना, विधवा/परित्यक्ता मुख्यमंत्री (बी.एड.) संबंध योजना एवं बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना में छात्रवृत्ति पोर्टल पर आमंत्रण हेतु दिनांक—04.10.2023 से पोर्टल पुनः खोला जाता है। जिसका विवरण निम्नानुसार है—

क्र. स.	छात्रवृत्ति/स्कूटी का नाम	वर्ष	पोर्टल पुनः प्रारम्भ की तिथि	पोर्टल बन्द की अंतिम तिथि
1.	देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण एवं प्रोत्साहन राशि योजना (द्वितीय राउंड हेतु)	2023-24	04.10.2023	31.10.2023
2.	कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना (द्वितीय राउंड हेतु):- 1. सामान्य वर्ग के आर्थिक पिछड़ा वर्ग (EBC) की 12वीं उत्तीर्ण छात्राओं हेतु (माध्यमिक शिक्षा विभाग) 2. अल्प संख्यक वर्ग की 12वीं उत्तीर्ण छात्राओं हेतु (अल्प संख्यक मामलात विभाग) 3. अनुसूचित जनजाति (ST) वर्ग की 12वीं उत्तीर्ण छात्राओं हेतु (उच्च शिक्षा विभाग) 4. अनुसूचित जनजाति (ST) की 10वीं उत्तीर्ण छात्राओं हेतु (उच्च शिक्षा विभाग) 5. विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्द्धघुमन्तु समुदाय की 12वीं उत्तीर्ण छात्राओं हेतु (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग)	2023-24	04.10.2023	31.10.2023
3.	बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना	2023-24	04.10.2023	31.12.2023
4	मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना	2023-24	04.10.2023	31.12.2023
5	विधवा/परित्यक्ता मुख्यमंत्री (बी.एड.) संबंध योजना	2023-24	04.10.2023	31.12.2023

योजना से संबंधित नियम, दिशा—निर्देश विभागीय वेबसाइट <https://hte.rajasthan.gov.in/> के Home Page पर Online Scholarship पर उपलब्ध है। आवेदन पत्र भरने से पूर्व संबंधित छात्रा/अभिभावक योजनाओं से संबंधित दिशा—निर्देश, परिपत्र क्रमांक—955 दिनांक—30.12.2021, नियम एवं संलग्न किये जाने वाले दस्तावेजों की भली भाँति अध्ययन कर ही आवेदन करें। आवेदन करने हेतु विद्यार्थी के पास जन आधार कार्ड होना आवश्यक है एवं उसमें भरी हुई सूचनाएँ यथा जाति, मूल—निवास, बैंक डिटेल आदि अपडेट होनी चाहिए।

ऑनलाइन आवेदन विभाग की वेबसाइट <https://hte.rajasthan.gov.in/> द्वारा एसएसओ आईडी से login कर Citizen App-G2C के "Scholarship (CE,TAD,Minority)" Icon पर क्लिक कर किया जा सकता है।

जिन विद्यार्थियों को उनके विश्वविद्यालय/महाविद्यालय छात्रवृत्ति पोर्टल पर प्रदर्शित नहीं हो रहे हैं। वे अपने विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के रजिस्ट्रार/प्राचार्य से सम्पर्क कर रजिस्ट्रेशन एवं अपडेशन की कार्यवाही करावें।

जिन विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों द्वारा अभी तक पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन एवं अपडेशन नहीं किया है, वे शीघ्र उक्त कार्यवाही करें। इसके अभाव में विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थी ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सकेंगे। जिसकी समस्त जिम्मेदारी संबंधित विश्वविद्यालय/महाविद्यालय की होगी।


 संयुक्त निदेशक
 कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर